न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2024

प्रार्थीगण –

देरावरसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा
तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बालेरा
2. शायती पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बालेरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 88 दिनांक 07.06.2023 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील मेराजा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. श्री प्रेमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बालेरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 88 दिनांक 07.06.2023 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं [illegible] के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के [illegible] करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बालेरा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पैतृक एवं कब्जा सुदा भूखण्ड मय रहवास ग्राम बालेरा की आबादी में आया हुआ है। उक्त भूखण्ड मय मकान सहित एक बड़ा बाडा ओंकारसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य का था तथा ओंकारसिंह क चार पुत्र क्रमशः देरावरसिंह, अर्जुनसिंह, खुमानसिंह, राजुसिंह है। ओंकारसिंह ने अपने जीवनकाल मे ही अपने चारो पुत्रों के अलग–अलग मकान बना दिये थे तथा उक्त मौखिक बंटवाडा के अनुसार ही पक्षकारान के अपने भूखण्ड मय मकान पर कब्जा एवं रहवास है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड एवं उसके पास स्थित भूखण्ड पर प्रार्थी का कई वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जा एवं भूखण्ड में रहवासी मकान है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित रूप से प्रभावित कर पटट्ा आबादी भूमि का जारी करवा दिया। उक्त पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड में जबरन घुसने का प्रयास किया था तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 88 दिनांक 07.06.2023 को आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण के करीब 50 वर्ष पुराने कब्जे व रहवास का जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

4. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को अनुचित रूप से प्रभावित कर उत्तर की भुजा 23 फीट, दक्षिण की भुजा 25 फीट, पूर्व की भुजा 76 फी[illegible] पश्चिम की भुजा 76 फीट कुल क्षेत्रफल 1864 वर्गफीट त[illegible]सिंह का मकान, पश्चिम में आबादी भूमि, उतर मे रास्ता व दक्षिण [illegible] आबादी भूमि व रास्ता। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व वादग्रस्त ग्राम पंचायत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बैठक कार्यवाही मे तीन पंचो की निरीक्षण कमेटी का न तो गठन हुआ और न ही निरीक्षण कमेटी के के सदस्यों ने मौके की जांच कर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त भूमि के काल्पनिक पाडोस बताकर यह विवादित पट्टा आबादी भूमि का जारी करवा दिया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम धारा 157 (1) के तहत जारी किया गया है परन्तु धारा 157 (1) के अनुसार प्लॉट पैतृक एवं पुराना कब्जा होने के आधार पर ही पट्टा जारी किया जाता है जबकि वादग्रस्त मकान न तो उतरदाता संख्या 2 का पैतृक है और न ही उसका कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे धारा 157 (1) के विपरीत विधि विरूद्ध रूप से पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य हैं।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्तागण अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल मे लाई गई।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बालेरा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 05.04.2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 50 वर्षों से कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 (1) में विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भूखण्ड का माप नहीं लिखकर केवल क्षेत्रफल 1864 वर्गफीट लिखा है तथा भूखण्ड पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में संस्थित आदेशिका सूची दिनांक 20.04.2023 मे आवेदित स्थल आबादी भूमि मे होने की हल्का पटवारी रिपोर्ट पेश होना अंकित किया जबकि पत्रावली मे ऐसी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 20.05.2023 को भी पटवारी हल्का रिपोर्ट प्राप्त होना उल्लेखित किया है जबकि कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। स्थल निरीक्षण की मौका रिपोर्ट मे प्रस्तावित भूमि पर अप्रार्थी के कब्जा व निर्माण के संबंध में कोई विशिष्ठियां अंकित नहीं हैं। इसके पश्चात दिनांक 20.04.18 को सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस दिनांक 20.04.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

SPL-01 नम्बर से जारी किया गया है तथा उक्त नोटिस संबंधित स्थल एवं ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जाने विवरण अंकित नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस का सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशन नहीं किया गया है बल्कि औपचारिक रूप से जारी कर शामिल पत्रावली रखा गया। पत्रावली में नियमानुसार प्रार्थना–पत्र व मौका निरीक्षण शुल्क जमा कराने की कोई रसीद व रसीद संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अंतिम आदेशिका दिनांक 07.06.2023 में विकास शुल्क रूपये 200/– जमा होने की दशा में पट्टे जारी करने का निर्णय लिया गया है किन्तु उक्त राशि जमा होने का भी कोई उल्लेख पत्रावली में अंकित नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 07.06.2023 एवं इसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 88 दिनांक 07.06.2023 अपूर्ण एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा अनियमित, अपूर्ण कार्यवाही के साथ–साथ बिना स्वामित्व दस्तावेजों की जांच के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 07.06.2023 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा बैठक दिनांक 07.06.2023 में पारित प्रस्ताव सं. 1 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:21:25 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर